

26-10-17

वादी अनुपस्थित। वादी की ओर से कोई अधिवक्ता भी उप० नहीं।

वादी एवं उसके अधिवक्ता की न्यायालय कक्ष के बाहर बार-बार पुकार लगवाई गयी परन्तु कोई उप० नहीं हुआ।

प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अधिवक्ता श्री के०के० शुक्ला उप०।

प्रतिवादी क्रमांक 2 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है परन्तु आज न तो वादी उपस्थित है और ना ही वादी के पक्ष समर्थन हेतु कोई अधिवक्ता उपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के अंतर्गत खारिज किया जाता है।

प्रकरण में व्यय तालिका बनाई जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सही /—
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
ए.सी.जे.-1 गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)